फर्द अहकाम

लालचन्द वगै० बनाम सरकार वगै०

ालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जयपुर

ा 15/2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
20/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। तहसीलदार ने रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई। तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 23/11/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
3/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश हेतु विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, तथा वकील उभय पक्षों की बहस का मनन किया गया अतः वादी का प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88 राज० काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाता है। तथा पत्रावली में विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज मेरे न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील आदेश होकर नायब रिकार्ड के तहत वाद प्रति दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
5/2023	19/01/2023	23/01/2025

बालचन्द पुत्र बक्सा राम
जलन्धर पुत्र बक्सा राम
राजूलाल पुत्र बक्सा राम
लाली देवी पत्नि बक्सा राम
समस्त जाति माली निवासी ग्राम बूज तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राज0।

वादीगण

बनाम

जस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
ल्याण पुत्र पन्ना
मेश्वर पुत्र हरदेव
मस्त जाति माली निवासी ग्राम बूज तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राज0।

प्रतिवादीगण

पस्थित अभिभावक
ो किशन लाल :– वकील वादीगण।
ो गौरव शर्मा :– वकील प्रतिवादी सं0 2, 3

दावा बाबत इन्द्राज दुरूस्त एवं घोषणा
अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट

–: निर्णयः–

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री किशन लाल ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादी इस कथन के ाथ पेश किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण की सामलाती वादग्रस्त खातेदारी भूमि खाता सं0 93 जसके खसरा नम्बर 483 रकबा 0.9900है0 एवं खाता सं0 477 जिसके खसरा नम्बर 159 रकबा 0. 900है0, खसरा नम्बर 161 रकबा 0.0300है0, खसरा नम्बर 481 रकबा 2.0000है0, खसरा नम्बर 482 कबा 0.0600है0, खसरा नम्बर 493 रकबा 0.6200है0, खसरा नम्बर750 रकबा 0.0100है0, खसरा म्बर 751 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 752 रकबा 3.6700है0 कुल किता 8 कुल रकबा 6. 900है0 ग्रामतन बूज पटवार हल्का बूज तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राज में स्थित है जिसमे ादीगण का सामलाती हिस्सा 1/42–1/42 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो वादीगण की पैतृक ातेदारी भूमि है जिस पर वादीगण अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है।उक्त भूमि ादीगण की सामलाती भूमि है। जो कि वादीगण अपने पिताजी/पति स्व0 बक्सा राम पुत्र भूरा से रासत में प्राप्त हुयी है। तथा उक्त भूमि का नामा0 खोलते समय राजस्व कर्मचारियों ने वादीगण के ता/पति का नाम हरबक्स दर्ज कर दिया। उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड वर्तमान जमाबन्दी वादीगण के पिता/पति नाम हरबक्स चल रहा है। जबकि वास्तविक में वादीगण सं0 1, 2, 4 के ता/पति का नाम बक्साराम है। व समस्त दस्तावेज पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, नआधार कार्ड आदि में भी वादीगण 1, 2, 4 के पिता/पति का नाम बक्साराम अंकित है। जबकि ादी सं0 3 के पिता नाम हरबक्स है। व समस्त दस्तावेज में वादी सं 0 3 के पिता/पति का नाम रबक्स अंकित हे। इसलिये दिल्ली–मुम्बई कॉरिडोर हाईवे रोड में भूमि जाने के कारण मुआवजा शि नह मिल पा रहा है। अतः उक्त वर्णित आराजियात में वादीगण के पिता/पति का नाम हरबक्स े स्थान पर हरबक्स उर्फ बक्साराम घोषित किये जाने के आदेश किया जावें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। तिवादी सं0 2 व 3 की ओर से वकील श्री गौरव शर्मा ने वकालतनामा व जवाब सहमति पेश ी। जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं0 1 (पैरोकार सरकार) ने अपने

पत्रांक/एल0आर0/24/6065 दिनांक 21.11.2024 को रिपोर्ट/जवाब पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बूज के खसरा नम्बर 483 रकबा 0.99है0, तथा खसरा नम्बर 159, 161, 481, 482, 493, 750, 751, 752 कुल किता 8 कुल रकबा 6.49है0 में वादीगण जलन्धर पुत्र हरबक्स, बालचन्द पुत्र हरबक्स, राजूलाल पुत्र हरबक्स व लाली पत्नि हरबक्स हि0 1/4 जाति माली सा0बूज के नाम रिकार्ड दर्ज है तथा वादीगणो के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनआधार में पिता/पति का नाम बक्साराम रिकार्ड दज है। अतः उकत खसरान में वादीगणो के पिता/पति का नाम हरबक्स के बजाय हरबक्स उर्फ बक्साराम किया जाना अपेक्षित है। वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

अतः वकील उभय पक्ष व पैरोकार सरकार की बहस सुनने, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधि0 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम बूज, पटवार हल्का बूज तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर के वादग्रस्त भूमि के खाता सं0 93 जिसके खसरा नम्बर 483 रकबा 0.9900है0 एवं खाता सं0 477 जिसके खसरा नम्बर 159 रकबा 0.0900है0, खसरा नम्बर 161 रकबा 0.0300है0, खसरा नम्बर 481 रकबा 2.0000है0, खसरा नम्बर 482 रकबा 0.0600है0, खसरा नम्बर 493 रकबा 0.6200है0, खसरा नम्बर750 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 751 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 752 रकबा 3.6700है0 कुल किता 8 कुल रकबा 6.4900है0 के रिकार्ड में अंकित वादी का नाम जलन्धर पुत्र हरबक्स, बालचन्द पुत्र हरबक्स, राजूलाल पुत्र हरबक्स व लाली पत्नि हरबक्स के स्थान पर जलन्धर पुत्र हरबक्स उर्फ बक्साराम, बालचन्द पुत्र हरबक्स उर्फ बक्साराम, राजूलाल पुत्र हरबक्स उर्फ बक्साराम व लाली पत्नि हरबक्स उर्फ बक्साराम का अंकन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। तद्नुसार डिकी जारी हों।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो ।

निणय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 23.01.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ